भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5630

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत राजसहायता

5630. श्री रामचरण बोहरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राजसहायता को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए कोई योजना शुरु करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों को कोई निदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राजसहायता को मुद्रास्फीति से जोड़ने की कोई संभावना है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त योजना के लाभ और हानि क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत दिनांक 21.08.2015 को अधिसूचित खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की स्कीम पहले से ही वर्ष 2015 से कार्यान्वित की जा रही है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, खुले बाजार से खाद्यान्नों की पात्र मात्रा की खरीद के लिए पात्र परिवारों के बैंक खातों में सीधे ही नकद खाद्य सब्सिडी प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या तो खाद्य सब्सिडी स्कीम के नकद अंतरण को कार्यान्वित करने या उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करने का विकल्प चुन सकते हैं।

.....2/-

(घ) से (च): खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण नियम, 2015 के अनुसार पात्र परिवार को देय खाद्य सब्सिडी की राशि का परिकलन लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के 1.25 गुणा तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य (अर्थात मोटा अनाज/गेहूं/चावल के लिए क्रमशः 1/2/3 रुपये) के बीच अंतर के साथ खाद्यान्नों की पात्र मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है। अतः गेहूं तथा चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वार्षिक वृद्धि के साथ लाभार्थियों के लिए नकद सब्सिडी की राशि भी वार्षिक रूप से बढ़ जाती है।

सितम्बर, 2015 से चंडीगढ़ तथा पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में तथा मार्च, 2016 से दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में नकद अंतरण स्कीम सुचारू रूप से चल रही है।

यह स्कीम लाभार्थियों को अपने उपभोग बास्केट को चुनने के लिए बेहतर स्वायत्तता प्रदान करती है तथा खाद्यान्नों के भौतिक संचलन की आवश्यकता भी कम करती है। यह लिकेज कम करती है तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते समय बेहतर लक्ष्यीकरण को सुसाध्य बनाती है।

*****